अंगदान–महादान

श्रीमति निधि गर्ग
रूड़की

मृत्यु जीवन का सत्य है, हम जीवन और मृत्यु को प्राप्त होने के लिए जन्म लेते हैं। टैगोर जी के शब्दों में –

"मृत्यु जीवन से वैसे ही संबंधित है जैसे कि जन्म, जैसे चलने के लिए पांव उठाना होता है वैसे ही पांव नीचे भी रखना होता है कोई भी आसानी से कल्पना कर सकता है कि मृत्यु ही जीवन का अंत है। अपने अंगों को मृत प्रायः रोगियों को बहुमूल्य उपहार के रूप में दान देकर अपनी मृत्यु को जीवन समान सार्थक बनाया जा सकता है।"

अंगदान का अर्थ

इसका तात्पर्य है कि "मनुष्य अपने जीवन काल में यह प्रतिज्ञा करता है कि मृत्यु के उपरांत उसके शरीर के अंग, मृत प्रायः बीमार रोगियों की सहायता व उन्हें नया जीवन प्रदान करने के लिए किया जा सके।

जीवित मनुष्य द्वारा

मानव अधिनियम 1994 के अनुसार केवल करीबी रक्त संबंधी (भाई, बहन, माता, पिता, बच्चें व करीबी रिश्तेदार) ही प्रत्यारोपण के लिए दान कर सकता है। जीवित दानकर्ता केवल कुछ अंग दान कर सकता है। इसमें एक गुर्दा (क्योंकि एक गुर्दा शारीरिक कार्य कलापों के लिए पर्याप्त है) अग्न्याशय का एक भाग (क्योंकि आधा अग्न्याशय अग्न्याशयी कार्य कलापों को बनाए रखने के लिए पर्याप्त है), यकृत का कुछ भाग (दान किया गया कुछ भाग, कुछ समय पश्चात् पुनः उत्पादित हो जाएगा), दान दिया जा सकता है।

मृत्यु उपरांत

शरीर के सभी अंग दान किए जा सकते हैं।

भारत की स्थिति

भारत में प्रत्येक वर्ष पांच लाख मनुष्य वक्त पर अंग न मिलने के कारण मौत का शिकार हो जाते हैं। इन लोगों को बचाया जा सकता है यदि भारत में स्वैच्छिक रूप से अंगदान करते। भारत में विडंबना है कि ज्यादातर उन लोगों को ही समय रहते अंग मिलते हैं जो आर्थिक रूप से संपन्न होते हैं। इसी कारण मानव अंगों के अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलता है।

भारत में प्रतिवर्ष दस लाख व्यक्तियों में अंगदान करने वालों की संख्या 0.8 है। विकसित देशों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैण्ड़ और जर्मनी में यह संख्या 10 से 30 के मध्य है। स्पेन में प्रति दस लाख लोगों में 35 व्यक्ति अंग दान करते हैं। हमारे देश में इस संख्या के कम होने के निम्न कारण हैं – सही जानकारी का अभाव, धार्मिक मान्यता, सांस्कृतिक भ्रांतियां और पूर्वाग्रह कई देशों में अंगदान एच्छिक न होकर अनिवार्य है। हालांकि, भारत में ऐसा कर पाना संभव नहीं हैं लेकिन

जागरूकता पैदा कर इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है। परंतु हमारा दुर्भाग्य है कि हम जागरूकता पैदा करने में भी पीछे हैं।

भारत में अंगदान और प्रत्यारोपण का मौजूदा परिदृश्य बहुत बुरे हाल में है और प्राण रक्षा के लिए अंगदान का इंतजार कर रहे मरीज आखिरकार दम तोड़ देने को मजबूर होते हैं। भारत में करीब एक साल में 2 लाख दस हजार लोगों को गुर्दा प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है लेकिन देश में मुश्किल से 3000–4000 प्रत्यारोपण ही हो पाते हैं।

अंध विश्वास एवं संकीर्ण मानसिकता

भारत में प्रत्येक दिन कम से कम 10 लोगों की मृत्यु प्रत्यारोपण (ट्रासप्लांट) के लिए किसी का अंग न मिलने की प्रतीक्षा में ही हो जाती है। एक अध्ययन के अनुसार प्रत्यारोपण के लिए अंगों की इतनी कमी होने के बावजूद भारतीय जन–मानस दान किए अंगों या रक्त को स्वीकार करने में झिझकता है। ऐसी अनेक धारणाओं के कारण मृत व्यक्तियों के अंगदान को बढ़ावा दिए जाने के प्रयासों में भी बाधा आ रही है।

अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में दो वर्षों तक किए गए एवं वेब आधारित अध्ययन (2011–2012) के अनुसार, लोग डरते हैं कि कहीं उनको दिया गया अंग किसी हत्यारे या चोर का न हो, कॉग्निटिव साइंस नामक जर्नल में छपे एक शोध के अनुसार प्राप्त करने वाले पक्ष की यह मान्यता हैं कि इस तरह के दानकर्ता के कारण उनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आ जाएगा। इस अध्ययन के प्रमुख लेखक एवं साइकोलॉजी रिसर्च फैलो में रेडियस मेयर के अनुसार प्राप्त पक्ष के लोग ऐसे व्यक्ति के अंग, खून या डी.एन.ए. को प्रत्यारोपित कराना चाहते हैं जिसका व्यक्तित्व उनके व्यवहार से मेल खाता है।

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के वरिष्ठ चिकित्सक के अनुसार हमारे यह कई झूठी मान्यताएं भी काम कर रही हैं मसलन लोगों का विश्वास है कि यदि मृत व्यक्ति की आंखों को दान दिया जाता है तो उसे मरने के उपरांत स्वर्ग नहीं मिलता या अगले जन्म में वह उस अंग के बिना पैदा होंगे। ऐसी अवधारणाओं को दूर करने में काउंसलर्स को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

जन–मानस के मन में एक बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या शरीर से अंग निकाल लेने से शवदाह/दफन क्रिया प्रभावित होती है या उसमें विकृति आती है या नहीं। अंगों को शरीर से निकालने से परंपरागत अन्त्येष्टि क्रिया या दफन क्रियाओं में कोई बाधा नहीं आती। इससे शरीर के रूप रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता। एक अतिकुशल चिकित्सक शल्य– प्रतिरोपण दल आपके अंगों को शरीर से निकाल कर इसे किसी अन्य रोगी में प्रतिरोपित करेगा। तत्पश्चात् शल्य चिकित्सक बड़ी सावधानी से शरीर को स्टिच करेंगें। जिससे शरीर में कोई विकृति उत्पन्न नहीं होगी व अंत्येष्टि क्रियाओं में विलंब करने की आवश्यकता नहीं होती।

कानून एवं नियम

सरकार ने 1994 में मानवीय अंगों के प्रत्यारोपण के लिए कानून बनाया था ताकि विभिन्न किस्म के अंगदान एवं प्रत्यारोपण को सुचारू रूप दिया जा सके। चिकित्सकीय कार्य के लिए मानवीय अंगों को निकालने, उनका भंडारण करने व उनके प्रत्यारोपण को नियमित करने के अतिरिक्त इस कानून का मकसद था कि मानव अंगों के व्यावसायिक लेन–देन को रोका जा सके। ब्रेन डेड मरीजों को संभावित अंग दाताओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाए।

कानून ने पहली बार ब्रेन डेड की अवधारणा को कानूनी जामा पहनाया। यह कानून अन्य देशों के कानून से कुछ अधिक कठोर है। किसी भी व्यक्ति को ब्रेनडेड घोषित करने व उसके अंगों के प्रत्यारोपण का कार्य अधिकृत अस्पताल ही कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्ति विशेष को ब्रेनडेड घोषित करने के लिए कम से कम चार डॉक्टरों की सहमति जरूरी है। अंगदान 6 घंटे के अंदर ही करना होता है, अधिक समय हो जाने पर यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है। अन्य देशों में ब्रेन डेड घोषित करने के लिए 2 डॉक्टरों की सहमति व परीक्षण के मध्य कोई निश्चित सीमा का अंतराल रखना आवश्यक नहीं होता। दो वर्ष पूर्व इस कानून में संशोधन कर इसकी कमियों को दूर किया गया। इस कानून के अंतर्गत नेशनल आर्गन एंड टिशु ट्रासप्लांट आर्गनॉइजेशन की स्थापना की गयी, जिसका मुख्य कार्य देश भर में अगंदान से जुड़ी विभिन्न प्रक्रियाओं एवं गतिविधियों पर नजर रखना था।

दिल्ली में स्थित यूरोलॉजिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की वार्षिक बैठक के दौरान यह संकल्प दोहराया गया कि सोसाइटी का स्लोगन "हर जन को अमर बनाना है" जारी किया गया। इस अवसर पर राममनोहर लोहिया अस्पताल के यूरोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. राजीव सूद ने कहा कि ऐसे व्यक्ति जो ब्रेनडेड हो चुके हैं उनके अंगदान केडवेर डोनवर की प्रक्रिया अभी भारत में बहुत कम है। उन्होंने बताया कि 'अगंदान का सकंल्प कर चुके व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनके 31 अंगदान किए जा सकते हैं। हमारे पास उपयुक्त डोनर्स की बड़ी संख्या है पर इस पर समुचित जागरूकता के अभाव में अंग दान काफी जटिल बना हुआ है।

अंगदान आकड़ों की जुबानी

1,40,000	व्यक्तियों की मृत्यु प्रति वर्ष सड़क दुर्घटना में होती है।
80,000	से अधिक व्यक्ति एक साल में संभावित अंगदाता हो सकते हैं।
10,00,000	मरीजों के अंगों ने काम करना लगभग बंद कर दिया है।
70%	सड़क दुर्घटना ग्रस्त हुए लोगों को सिर में चोट लगती है और मस्तिष्क मृत हो जाता है।

- अंगदान किए जाने वाले प्रत्येक 100 में से 70 अंग मृतकों के होते हैं।
- हर दिन 10 लोगों की मृत्यु अंग न मिलने की प्रतीक्षा में होती है।
- पश्चिम में हर वर्ष लगभग 37,500 मृतकों के अंगों का प्रत्यारोपण किया जाता है।

देश में प्रत्यारोपण के लिए जरूरी अंगों की मांग को पूरा करने में काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक ओर जहां 10 लाख लोगों के अंग विशेष के काम न करने की स्थिति से जूझ रहे है, वहीं लोगों में अंगदान न करने की विषम स्थिति पैदा हो रही है।

सेना में यह स्थिति तुलनात्मक रूप से बेहतर है। आर्म्ड फोर्सेस आर्गेन रिट्रीवल एंड ट्रांसप्लांट अथोरिटी (ADRTA) के व्यवस्थित ढांचे के कारण वहां अंगदान के लिए अधिक लोग सामने आते हैं।

दो दशक पूर्व अंगदान प्रत्यारोपण अधिनियम लाया गया था तब अंगदान में मात्र 1000 की ही वृद्धि हुई। विश्वभर में इस संबंध में एक प्रोटोकाल अपनाया जाता है, जिसके तहत अंगदाता और अंगदान हासिल करने वाले व्यक्ति या परिवार को आपस में मिलाया नहीं जाता। "सर गंगा राम हॉस्पिटल" की ट्रांसप्लांट यूनिट के चेयरमैन "हर्ष जौहरी" के अनुसार "यह एक अप्राकृतिक और अस्वस्थ संबंध होता है, इसलिए दोनों पक्षों का आपसी परिचय कराए जाने से बचा जाता हैं। हम अंगदान प्राप्त करने वाले परिवार को यह नहीं बताते कि अंगदान किसने किया है।"